न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :– 74/2012 **RCMS 2012/00015**

वादीगण

1. कमला पुत्री श्री किशन पत्नि भैरूप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा तहसील कुचामनसिटी उपासरों की गली के अन्दर कुचामनसिटी
2. सीता पुत्री श्री किशन पत्नि रामगोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा हाल मंगलपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. बजरंगलाल पुत्र श्रीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा
2. धनश्याम पुत्र श्रीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा
3. गोपाल पुत्र श्रीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा
4. कन्हैयालाल पुत्र श्रीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा
5. गजानन्द पुत्र श्रीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा
6. शाखा प्रबन्धक दी नागौर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा कुचामनसिटी
7. नरेन्द्रपालसिंह पुत्र गणपतसिंह राजपूत आसपुरा मृतक के विधिक प्रतिनिधिगण :–

    7/1–गणपतसिंह पुत्र पन्नासिंह जाति राजपूत निवासी आसपुरा

    7/2–भंवर कंवर पत्नि गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी आसपुरा

    7/3–सम्पत कंवर पत्नि स. नरेन्द्रपालसिंह जाति राजपूत निवासी आसपुरा

    7/4–पृथ्वीसिंह पुत्र स्व. नरेन्द्रपालसिंह जाति राजपूत निवासी आसपुरा

    7/5–युधिष्ठरसिंह पुत्र स्व. नरेन्द्रपालसिंह जाति राजपूत निवासी आसपुरा अव्यस्क उक्त प्रति. 7/4, 7/5 जरिये वादार्थ नैसर्गिक सरंक्षक माता श्रीमति सम्पत कंवर पत्नि नरेन्द्रपालसिंह राजपूत निवासी आसपुरा

8. राजस्थार सरकार जरिये जिला कलेक्टर नागौर
9. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी (तहसीलदार) कुचामनसिटी
10. उप पंजीयक पंजियन एवं मुद्रांक कुचामनसिटी जिला नागौर
11. पटवारी हल्का, पटवार हल्का जिलिया तहसील कुचामनसिटी
12. गणपतलाल पुत्र स्व.किस्तूरचन्द जाति साद निवासी आसपुरा हाल कुचामनसिटी

वाद पत्र अधिकारों की घोषणा,रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता [illegible] की ओर से।

श्री पुष्पेन्द्रसिंह [illegible] 7/1 से 7/5 की ओर से।

श्री लक्ष्मण [illegible] अधिवक्ता [illegible] 3 की ओर से।

श्री हरदेवसिंह अधिवक्ता प्रति. [illegible], 4, 5, की ओर से।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

श्री अनिल कुमावत अधिवक्ता प्रति. 12 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 07-07.2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 आपस में पूर्ण रक्त सम्बन्धी भाई बहन होकर श्रीकिशन एवं सुप्यारदेवी की संतान है, श्रीकिशन जी की खातेदारी व कब्जासुदा भूमि ग्राम आसपुरा पटवार मण्डल जिलिया के खसरा नम्बर 261, 262, 263, 264, 268 269 कुल रकबा 11.00 हैक्टर में से 6.24 हैक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 222, 259, 265, 266, 528/261, 569/262 कुल रकबा 4.11 में से 2.11 हैक्टर भूमि एवं खसरा नम्बर 133, 134 कुल रकबा 4.53 हैक्टर सम्पूर्ण पैतृक कृषि भूमि के खातेदार काबिज काश्तकार थे, इस आशय का अंकन ईस्वी सन 18.12.1999 तक यथावत रहा, श्रीकिशन का दिनॉक 18.12.1999 तथा माता सुप्यार देवी का दिनॉक 18.11.2002 को निवर्सियती देहावसान हो चुका है, वादीगण एवं प्रतिवादगण संख्या 1 ता 5 उपर्युक्त श्रीकिशन पुत्र नन्दाराम के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभावी प्रावधानों अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस संयुक्त रूप से काबिज है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 की वंशावली निम्नवत है :–

श्रीकिशन (पिता) फौत 18.12.1999

→ सुप्यार देवी (पत्नि) फौत 18.11.2002

बजरंगलाल	घनश्याम	कमला	सीता	गोपाल	कन्हैयालाल	गजानन्द
(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्री)	(पुत्री)	(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्र)

श्रीकिशन की मृत्यु के बाद उनके पुत्रगण एवं पुत्रिया एवं पत्नि सुप्यारदेवी बतौर जायज उत्तराधिकारी वाद पत्र के चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पर एक ही परिवार के रूप में विधि प्रभाव से काबिज हो गए जो अधिकार स्वर्गीय श्रीकिशन जी आजीवन उक्त भूमि पर रहे वे तमाम अधिकार उनके वारिसान को जरिये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के स्वतः प्राप्त हो गए, चूॅकि वादीगण ओरत जात है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 में उपर्युक्तानुसार पूर्ण रक्त संबंधी होकर आपस में घनिष्ठ विश्वास रखती थी, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अपने ससुराल में व्यस्त रहती थी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ही जमीन रिकार्ड आदि की सार सम्भाल करते थे, वादीगण के पिता की मृत्यु पश्चात प्रतिवादीगण 1 ता 5 ने अकेले एवं माता सुप्यारदेवी के नाम से नामान्तरकरण खुलवा लिया जबकि राजस्व नियम अनुसार राजस्व अंकन प्रविष्टि मृतक के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियो के हक में ही नामान्तरकरण होकर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी दर्ज की जाती है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी प्रावधानो अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के पिता व माता की मृत्यु पश्चात उनके छोड़े गये सम्पूर्ण कृषि भूमि रकबे पर विधि प्रभाव से स्वामी स्वयं अभिधृत हो गये, फलतः उपर्युक्त राजस्व प्रविष्टि अशुद्व, अवैध, विधि विरूद्व होकर राजस्व नियमो के प्रतिकूल है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पिता एवं माता की

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

निर्वसियती मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं. 1 ता 5 उपर्युक्त कृषि भूमि में प्रत्येक 1/7 वे हिस्से के हकदार है उपर्युक्त वर्णितानुसार राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज नही होने की वादीगण को जानकारी मिलने पर गलत राजस्व प्रविष्टि को दुरूस्त करवाने का वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 से निवेदन किया लेकिन वाद अधीन भूमि के आस–पास अन्य भूमियों के मूल्य में बढ़ोतरी होने से प्रतिवादी 1 ता 5 उपर्युक्त कृषि भूमि को भू–माफिया वर्ग के तत्व से मिलकर अन्तरण संव्यवहार करने में लग गए, प्रतिवादी सं. 2 ता 5 वादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से से अधिक भूमि अजनबी क्रेताओं को बेचान करने की ऐलानिया धमकीया देने लगे, प्रतिवादी सं. 1 ने बाले बाले वादग्रस्त भूमि में से अपने हक हिस्से से अधिक कृषि भूमि का बेचाननामा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने हिस्से अधिकार से अधिक कृषि भूमि का बिना वादीगण की सहमति व अनुमति के अनजान व्यक्ति प्रतिवादी सं. 7 को जरिये दस्तावेज क्रम संख्या 2012003199 31.08.2012, दस्तावेज क्रम संख्या 2012003155 31.08.2012, दस्तावेज क्रम संख्या 2012003156 31.08.2012 को बिना कब्जा सुपुर्द किये ही मौके पर खसरा नम्बर 133 के पूर्व में मौजूद पक्के मकानात के अस्तित्व को छुपाकर अन्तरण वादीगण के हितो के विपरीत जन्म से शून्य है, यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि कोई भी व्यक्ति अपने हक हिस्से से अधिक भूमि का अन्तरण नही कर सकता, अतः प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण के विधि संगत हित अधिकार की कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 7 को किया गया अन्तरण वादीगण के हितो के विरूद्व शून्य विधि विरूद्व एवं निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी में हिन्दू धर्म में आस्थावान खातेदार कृषक मृतक श्रीकिशन एवं सुप्यार देवी के वंशजों की अविभाजित एक ही चक में स्थित होने से वादीगण के हक हिस्से को दरकिनार कर प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 7 को बेचान किा है इस प्रकार आक्षेपित बेचाननामा शून्य होने से प्रारम्भ से ही निरस्तनीय है, प्रतिवादी सं. 7 ने उपरोक्त दिखावटी विक्रय विलेख के आधार पर ग्राम पंचायत जिलिया का उप सरपंच पद का दुरूपयोग कर अपने प्रभाव का हल्का पटवार व ग्राम सेवक का इस्तेमाल करते हुय बिना कब्जे काश्त की जांच किये नामान्तरकरण कार्यवाही करवा ली और पुनः उपर्युक्त कृषि भूमि अन्तरित करने में उदत है, वादीगण को बेदखल कर उपर्युक्त वादग्रस्त कृषि भूमि की किस्म स्वरूप परिवर्तित करने में भी उदत है। वादीगण की इस्तदुआ है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के विरूद्व इस आशय की डिक्री पारित की जावें कि ग्राम आसपुरा पटवार मण्डल जिलिया के खसरा नम्बर 261, 262, 263, 264, 268 269 कुल रकबा 11.00 हैक्टर में से 6.24 हैक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 222, 259, 265, 266, 528/261, 569/262 कुल रकबा 4.11 में से 2.11 हैक्टर भूमि एवं खसरा नम्बर 133, 134 कुल रकबा 4.53 हैक्टर कुल रकबा 12.88 हैक्टर कृषि आराजी में वादीगण पूर्ववर्ती खातेदार श्रीकिशन व सुप्यार देवी की पुत्री होने से 1/7– 1/7 वे हक हिस्से की खातेदार होने की घो[illegible] आसपुरा पटवार मण्डल जिलिया के खसरा नम्बर 261, 262, 263, 264, 268 269 कुल रकबा 11.00 हैक्टर में से 6.24 हैक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 222, 25[illegible] 569/262 कुल रकबा 4.11 में से 2.11 हैक्टर भूमि एवं खसरा नम्बर 133, 134 कुल रकबा 4.53 हैक्टर कुल रकबा 12.88 हैक्टर कृषि आराजी के राजस्व रेकर्ड की प्रविष्टि में अमल दरामदगी कर वादी का हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

हिस्सानुसार रेकर्ड में दुरूस्ती की घोषणा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें। वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 व 7 के विरूद्व इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 7 के पक्ष में ग्राम आसपुरा पटवार मण्डल जिलिया के खसरा नम्बर 261, 262, 263, 264, 268 269 कुल रकबा 11.00 हैक्टर में से 6. 24 हैक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 222, 259, 265, 266, 528/261, 569/262 कुल रकबा 4.11 में से 2.11 हैक्टर भूमि एवं खसरा नम्बर 133, 134 कुल रकबा 4.53 हैक्टर का विक्रय विलेख प्रतिवादी सं. 10 के कार्यालय में पंजिबद्व है जो वादीगण के हितो के विरूद्व शून्य निरस्तनीय है इस आशय की डिक्री वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी सं. 1 व 5 के विरूद्व सादि फरमावें। पैरा संख्या 10 में वर्णित नामान्तरकरण वादीगण के हितों के विरूद्व शून्य है इस आशय की डिक्री वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी सं. 1 ता5 के विरूद्व पारित की जावें। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 वाद अधीन ग्राम आसपुरा पटवार मण्डल जिलिया के खसरा नम्बर 261, 262, 263, 264, 268 269 कुल रकबा 11.00 हैक्टर में से 6.24 हैक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 222, 259, 265, 266, 528/261, 569/262 कुल रकबा 4.11 में से 2.11 हैक्टर भूमि एवं खसरा नम्बर 133, 134 कुल रकबा 4.53 हैक्टर को खुर्द–बुर्द नही करे, वादीगण के उपयोग व उपभोग में किसी तरह की बाधा नही करे, भूमि का स्वरूप परिवर्तन नही करे तथा उक्त कृषि भूमि को किसी भी रूप में अन्तरित, भारग्रस्त नही करे, राजस्व रेकार्ड के मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 के विरूद्व पारित की जावें। प्रकरण की परिस्थितियों में अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलववाया जाना उचित समझती हो कि डिक्री वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के विरूद्व पारित की जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 7 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 12 उपस्थित आये, जिनके द्वारा किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही किया गया, प्रतिवादी सं. 6, 9, 10, 11 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 8 के विरूद्व वादी द्वारा किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहने बाबत कथन किया गया।

दौराने सुनवाई प्रतिवादी सं. 12 गणपतलाल को प्रार्थना–पत्र आर्डर 01 रूल्स 10 सी.पी. सी. प्रस्तुत होने पर बाद सुनवाई प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया, प्रतिवादी सं. 7 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया, दौराने सुनवाई प्रतिवादी की मृत्यु होने पर उसके विधिक प्रतिनिधिगण को प्रतिवादी सं. 7/1 से 7/5 पक्षकार बनाया गया। दौराने सुनवाई वादीगण एवं प्रतिवादी नरेन्द्रसिह, गजानन्द, घनश्याम इत्या[illegible]स्तुत किया, जो तस्दीक नही है।

प्रतिवादी सं. 7 ने जवाब प्रस्तु[illegible]तिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 7 को सही बेचान किया गया है तथा राजस्व [illegible]नुसार भूमि क्रय की गई है, कानूनन प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि को बे[illegible] करने का पूर्ण अधिकार है जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वादग्रस्त बेचाननामें विधिसम्मत व सही है, वरवक्त बेचान प्रतिवादी 7 को प्रतिवादी 1 ने कब्जा सुपुर्द कर दिया था, वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नही रहा, वादीगण दोनो ही शादीशुदा है और शादी हुए कई वर्ष हो गये है शादी के बाद से ही दोनो वादीगण अपने ससुराल में निवास करती आ रही है, श्रीकिशन जी ने अपने जीवनकाल में ही जुबानी बंटवारे से उनके अधिकार समाप्त कर दिये थे, वादीगण द्वारा वाद पत्र मनगढ़त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है इसलिये वाद वादीगण खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी सं. 12 गणपतलाल पुत्र किस्तूरचन्द ने कथन किया है कि श्री घनश्याम गजानन्द कन्हैयालाल पि. श्रीकिशन ने खसरा नम्बर 222 रकबा 0.40 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 259 रकबा 2.10 हैक्टर में से 0.27 हैक्टर कुल रकबा 0.32 हैक्टर भूमि जरिये बेचाननामा इकरारनामा दिनॉक 01.10.2008 को बेचान कर दी गई, जिसका बेचान दिनॉक 4.12.2012 को उप पंजियक कार्यालय कुचामनसिटी में प्रस्तुत किया गया, न्यायालय का स्थगन होने के कारण दस्तावेज लम्बित रखा गया है, जिसकी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजियन शुल्क जरिये रसीद संख्या 2012004196/4.12.2012 द्वारा अदा किये गये है, जिसका वह खातेदारी अधिकार पाने का मुश्तहक है।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से जमाबंदी नकल सम्वत 2067–2070 खाता संख्या 112 खसरा नम्बर 133, 134, खाता संख्या 113 खसरा नम्बर 222, 259, 265, 266, 558/261, 569/262 खाता संख्या 56 खसरा नम्बर 261, 262, 263, 264, 268, 269 की प्रस्तुत की, नक्शा ट्रेस नकल, मिलान क्षेत्रफल नकल, श्रीकिशन, सुप्यारदेवी के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, बेचान दस्तावेज संख्या 2012003155 दिनॉक 31.08.2012 की छाया प्रति, बेचान दस्तावेज संख्या 2012003156 दिनॉक 31.08.2012 की छाया प्रति, बेचान दस्तावेज संख्या 2012003139 दिनॉक 31.08.2012 की छाया प्रति, प्रस्तुत की। प्रतिवादी सं. 7 द्वारा उपरोक्त बेचाननामे की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की। प्रतिवादी 12 द्वारा बेचाननामा जरिये इकरारनामा 01.10.2008 की छाया प्रति, उप पंजियक कुचामनसिटी की रसीद सं. 2012004196 दिनॉक 04.12.2012 की छाया प्रति प्रंस्तुत की।

उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य इत्यादि के आधार पर निम्न प्रकार तनकियात कायम की गई:–

<u>तनकियात</u>

1. आया वादीगण ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 261, 262, 263, 264, 268, 269 कुल रकबा 11.00 हैक्टर में से 6.24 हैक्टर खसरा नम्बर 222, 259, 265, 266, 558/261, 569/262 कुल रकबा 4.11 हैक्टर में से 2.11 हैक्टर सम्पूर्ण खसरा नम्बर 133, 134 कुल रकबा 4.53 हैक्टर में वादीगण 1/7 – 1/7 हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है ? **जिम्मे वादीगण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:11 IST
Reason: SelfAttested

2. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि पैतृक [illegible] हिन्दू उत्तराधिकार में वर्णित नियम अनुसार 1/7 हिस्से का [illegible] अधिकारी है ? **जिम्मे वादीगण**

3. आया प्रतिवादी सं. 1 श्री बजरंगलाल द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा दिनॉक 31.08.2012 को बेचाननामों के जरिये प्रतिवादी सं. 7 [illegible]पालसिंह को किया गया, उक्त भूमि का

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

बेचान से पूर्व श्रीकिशन द्वारा मौखिक बंटवारा अपने जीवनकाल में समस्त पुत्र/पुत्रियों के मध्य कर दिया ? **जिम्मे प्रतिवादी सं. 7**

4. आया प्रतिवादी 2, 4, 5 के द्वारा विक्रित भूमि 0.32 हैक्टर का प्रतिवादी सं. 12 गणपतलाल पुत्र किस्तूरचंन्द जाति साद कुचामनसिटी खातेदारी पाने का मुश्तहक है ? **जिम्मे प्रतिवादी सं. 12**

5. आया वादीगण का हिस्सा 20 वर्ष पूर्व ही श्रीकिशन जी मौखिक बंटवारे से समाप्त कर दिया था ? **जिम्मे प्रतिवादी सं. 7**

6. आया वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 ता 5 व सुप्यारदेवी के पक्ष में दर्ज किये गये नामान्तरकरणों को सक्षम न्यायालय में चुनौतिया नही दी ? **जिम्मे प्रति. सं. 7**

7. आया प्रतिवादी सं. 7 भूमि का सदभाविक क्रेता है तथा प्रतिफल राशि अदा कर ही भूमि खरीद की है, इसलिये बेचान सही है ? **जिम्मे प्रति. सं. 7**

8. अनुतोष ।

मौखिक साक्ष्य में वादी वादिया कमला देवी का शपथ पत्र मुख्य परीक्षण बाबत प्रस्तुत हुआ। जिसमें संबंधित पक्षकार द्वारा जिरह की गई। अन्य वादी एवं प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार के मुख्य परीक्षण बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य अवसर बन्द किया गया।

दौराने सुनवाई संबंधित पक्षकार द्वारा प्रश्नगत भूमि को लेकर माननीय सिविल न्यायाधीश कुचामनसिटी के यहा विचाराधीन प्रकरण में दिनॉक 14.05.2022 को लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पक्षकारान ने राजीनामा प्रस्तुत करने पर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रति प्रस्तुत की। जो शामिल मिसल उपलब्ध है। जिसमें श्रीकिशन एवं सुप्यार देवी के विधिक वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी 1 ता 5 को उनके हक हिस्स 12.88 में नरेन्द्रपालसिंह के उत्तराधिकारी 1.84 हैक्टर, गोपाल पुत्र श्रीकिशन 1.84 हैक्टर, घनश्याम पुत्र श्रीकिशन 1.84 हैक्टर, कन्हैयालाल पुत्र श्रीकिशन 1.84 हैक्टर, सीता पुत्र श्रीकिशन 1.84 हैक्टर, कमला पुत्र श्रीकिशन 1.84 हैक्टर, गजानन्द पुत्र श्रीकिशन 1.84 हैक्टर के नजरी नक्शा अनुसार दावे में राजीनामा तस्दीक किया गया।

प्रतिवादी सं. 3 गोपाल के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनॉक 04.07.2023 को प्रस्तुत किया गया। जिसका जवाब वकील वादी प्रस्तुत नही कर कथन किया जो दस्तावेज मंगवाये जाने हेतु निवेदन किया है वह वाद की विषय वस्तु नही है तथा प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्य मनगढ़त एवं मिथ्या है जिसे खारिज किया जावें। उल्लेखित तथ्यों एवं वादी वकील के कथन पर मनन किया गया। सभी तथ्य सारगरभित नही होने से तथा अनावश्यक [illegible] प्रकरण को लंबित करने की मंशा से प्रस्तुत किये जाने का प्रतीत होता है [illegible] प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

वाद का तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

<u>तनकी सं. 1–</u> जिसके संबंध में वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पैतृक होने के साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत किये। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि श्रीकिशन एवं सुप्यार देवी के नाम होने के कथन सभी पक्षकारान से स्वीकार किये है तथा इस संबंध में माननीय सिविल न्यायालय कुचामनसिटी में भी इन्ही पक्षकारान के मध्य दिनॉक 14.05.2022 को हो चुका है, जिसमें कुल रकबा 12.88 हैक्टर में 1.84 हैक्टर के सभी संबंधित श्रीकिशन के वारिसान का राजीनामा तस्दीक कर प्रकरण निस्तारित किया गया है। उपलब्ध रेकार्ड से भी साबित है कि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि दर्ज चली आई है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में भी पिता की सम्पति में पुत्र/पुत्रीया बराबर के हक हिस्से की दायी है। उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात बयानात इत्यादि से वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी 1 से 5 श्रीकिशन सुप्यारदेवी के वंशज होने से 1/7 हक हिस्से के बराबर बराबर हकदार है। इस प्रकार तनकी सं. 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी सं. 2 –</u> वादीगण श्रीकिशन एवं सुप्यारदेवी के वंशज होने के नाते पैतृक भूमि में बराबर–बराबर हक हिस्से के हकदार है जिसकी पुष्टि उपलब्ध साक्ष्य एवं उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानो अनुसार साबित है। अतः तनकी सं. 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी सं. 3–</u> प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड I बेचान दस्तावेज संख्या 2012003155 दिनॉक 31.08.2012, बेचान दस्तावेज संख्या 2012003156 दिनॉक 31.08.2012, बेचान दस्तावेज संख्या 2012003139 दिनॉक 31.08.2012 द्वारा प्रतिवादी सं. 7 नरेन्द्रपालसिंह को कर दिया था, जिसकी पुष्टि प्रस्तुत सत्यप्रति से होती है, इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 का हक हिस्सा आज दिन नही रहा है, वरवक्त बेचान से प्रतिवादी सं. 1 का 1/5 हिस्सा था, परन्तु माननीय सिविल न्यायालय कुचामनसिटी में जरिये राजीनामा निस्तारण प्रकरण में दिनॉक 14.05.2022 को होने पर नरेन्द्रसिंह के विधिक प्रतिनिधिगण का 1.84 हैक्टर हक हिस्सा तय किया गया है तथा इस न्यायालय में भी उन्होने अपना हक हिस्सा इसी अनुसार माना है। उपरोक्त भूमि में वादीगण के हक हिस्से में प्रतिवादी सं. 7 को कोई एतराज नही है। साथ ही सभी अन्य पक्षकारान ने प्रतिवादी सं. 7 के कायम मुकाम 7/1 से 7/5 का हक हिस्सा माना है। इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादी सं. 7 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी सं. 4–</u> प्रतिवादी सं. 2, 4, 5 द्वारा अपने हक हिस्से का बेचान जरिये इकरारनामा दिनॉक 01.10.2008 तथा [illegible] कुचामनसिटी के यहा प्रस्तुत बेचान दस्तावेज रसीद सं. [illegible] 2012 अनुसार वादग्रस्त खसरान में से 0.32 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. [illegible] लाल को विक्रय की गई है, जिसकी पुष्टि उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से होती [illegible] इस संबंध में वादीगण एवं प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) (stamp)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सं. 1 से 5 को किसी प्रकार का एतराज नही है तथा नही किसी प्रकार का कथन किया है। बेचान दिनॉक 4.12.2012 निष्पादन होकर उप पंजियक कुचामनसिटी के यहॉ लम्बित है, चूँकि प्रकरण में स्थगन होने से पंजिबद्व होने से बेचान दस्तावेज लंबिति है। इस प्रकार तनक़ी सं. 4 प्रतिवादी सं. 12 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 5— वादीगण का हिस्सा 20 वर्ष पूर्व ही श्रीकिशन जी ने मौखिक बंटवारा से समाप्त कर दिया था, इस संबंध में प्रतिवादी सं. 7 एवं अन्य प्रतिवादी ने कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे स्पष्ट हो सके की वादीगण का हिस्सा 20 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया हो। इस प्रकार साक्ष्य सबूतो के अभाव में तनकी संख्या 5 प्रतिवादी सं. 7 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 6— वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 से 5 एवं सुप्यारदेवी के पक्ष में दर्ज किये गए नामान्तरकरण को सक्षम न्यायालय में चुनौतिया दी जानी थी, परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण जरिये वाद ही वादीगण का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधान अनुसार हक हिस्सा तय होना था, इसलिए इन्होने वाद प्रस्तुत कर ही अपना हक हिस्सा तय कराया जाना उचित समझते हुए वाद लाया गया। नामान्तरकरण प्रक्रिया फिसक्ल कार्यवाही है जिससे वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही हो सकते थे। इसलिए तनकी संख्या प्रतिवादी सं. 7 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 7— प्रतिवादी सं. 7 द्वारा वादग्रस्त भूमि में से बजरंगलाल से उसका हक हिस्सा उपरोक्त पंजिबद्व दस्तावेजो से क्रय किया गया है, जिसकी पुष्टि प्रस्तुत बेचान दस्तावेजो की सत्यप्रति से साबित होती है। जिसके संबंध में माननीय सिविल न्यायालय कुचामनसिटी में दिनॉक 14.05.2022 को प्रकरण में राजीनामा तस्दीक होकर सभी के हक हिस्से तय किये गये है तथा बजरंगलाल के हक हिस्से के स्थान पर प्रतिवादी सं. 7 के विधिक प्रतिनिधिगण के हक हिस्से में भूमि रखी गई है। इसलिए यह तनकी संख्या 7 प्रतिवादी सं. 7 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 8— अनुतोष – प्रश्नगत भूमि में पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 एक ही परिवार के सदस्य अर्थात श्रीकिशन एवं सुप्यारदेवी के वारिसान है तथा वादग्रस्त भूमि ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 261, 262, 263, 264, 268, 269 कुल रकबा 11.00 हैक्टर में से 6.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 222, 259, 265, 266, 558/261, 569/262 कुल रकबा 4.11 हैक्टर में से 2.11 हैक्टर ,खसरा नम्बर 133, 134 कुल रकबा 4.53 हैक्टर सम्पूर्ण जुमले रकबा रकबा 12.88 हैक्टर में 1/7 –1/7 हक हिस्से के अधिकारी है। जिसकी पुष्टि उपलब्ध दस्तावेजात, बयान, रेकार्ड की नकले, एवं माननीय सिविल न्यायालय कुचामनसिटी के द्वारा तस्दीक राजीनामा 14.05.2022 के अनुसार होती है तथा प्रतिवादी सं. 1 बजरंगलाल के हक हिस्से में प्रतिवादी सं. 7/1 से 7/5 को खातेदार घोषित किये जाने एवं प्रतिवादी 2, 4, 5 द्वारा विक्रित भूमि 0.32 हैक्टर प्रतिवादी सं. 12 गणपतलाल को किये जाने के तथ्य साबित होते है। इस प्रकार वाद वादीगण काबिल डिक्री योग्य पाये जाने से डिक्री किया जाता है। प्रकरण में डिक्री आदेश होने से पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

निरस्त की जाती है तथा जमांबदी में अंकित स्थगन नोट हटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है तथा अंकित टेबल अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम ग्राम	ख.नं.	रकबा	खातेदार घोषित मय रकबा
1	आसपुरा	261 262 263 264 268 269	2.45 3.51 0.01 2.29 0.01 2.73	वादी कमला 0.8915 हैक्टर, वादी सीता 0.8915 हैक्टर, प्रतिवादी घनश्याम 0.8914 हैक्टर, प्रतिवादी गोपाल 0.8914 हैक्टर प्रतिवादी कन्हैयालाल 0.8914 हैक्टर प्रतिवादी गजानन्द 0.8914 हैक्टर प्रतिवादी 7/1 से 7/5 0.8914 हैक्टर अन्य खातेदार गंगाराम 1.77 हैक्टर, मूनीदेवी 0.26 हैक्टर, मोहनी 2.73 हैक्टर
		कुल रकबा	11.00 हैक्टर	
2	आसपुरा	133 134	0.01 4.52	वादी कमला 1/7 हिस्सा वादी सीता 1/7 हिस्सा प्रतिवादी घनश्याम 1/7 हिस्सा प्रतिवादी गोपाल 1/7 हिस्सा प्रतिवादी कन्हैयालाल 1/7 हिस्सा प्रतिवादी गजानन्द 1/7 हिस्सा प्रतिवादी 7/1 से 7/5 = 1/7 हिस्सा सुप्यारदेवी पत्नि श्रीकिशन का राजस्व रेकार्ड से नाम हटाया जाता है।
		कुल रकबा	4.53 हैक्टर	
3	आसपुरा	222 259 265 266 558/261 559/262	0.40 2.10 0.37 0.59 0.47 0.18	वादी कमला 0.3015हैक्टर, वादी सीता 0.3015हैक्टर, प्रतिवादी गोपाल 0.3014 हैक्टर प्रतिवादी घनश्याम,कन्हैयालाल गजानन्द 0.5842 हैक्टर बहिस्सा बराबर प्रतिवादी गणपतलाल 0.32 हैक्टर प्रतिवादी 7/1 से 7/5 0.3014 हैक्टर अन्य खातेदार गंगाराम 1.41 हैक्टर, मूनीदेवी 0.59 हैक्टर,
		कुल रकबा	4.11 हैक्टर	

डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 07/07/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:11 IST
Reason: SelfAttested

(मनोज R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–नागौर (राज.)

बइजलास : मनोज, (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 74/2012 RCMS 2012/00015

वादीगण

1. कमला पुत्री श्री किशन पत्नि भैरूप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा तहसील कुचामनसिटी उपासरों की गली के अन्दर कुचामनसिटी
2. सीता पुत्री श्री किशन पत्नि रामगोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा हाल मंगलपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. बजरंगलाल पुत्र श्रीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा
2. घनश्याम पुत्र श्रीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा
3. गोपाल पुत्र श्रीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा
4. कन्हैयालाल पुत्र श्रीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा
5. गजानन्द पुत्र श्रीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा
6. शाखा प्रबन्धक दी नागौर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा कुचामनसिटी
7. नरेन्द्रपालसिंह पुत्र गणपतसिंह राजपूत आसपुरा मृतक के विधिक प्रतिनिधिगण :–
   7/1–गणपतसिंह पुत्र पन्नासिंह जाति राजपूत निवासी आसपुरा
   7/2–भंवर कंवर पत्नि गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी आसपुरा
   7/3–सम्पत कंवर पत्नि स. नरेन्द्रपालसिंह जाति राजपूत निवासी आसपुरा
   7/4–पृथ्वीसिंह पुत्र स्व. नरेन्द्रपालसिंह जाति राजपूत निवासी आसपुरा
   7/5–युधिष्ठरसिंह पुत्र स्व. नरेन्द्रपालसिंह जाति राजपूत निवासी आसपुरा अव्यस्क उक्त प्रति. 7/4, 7/5 जरिये वादार्थ नैसर्गिक सरंक्षक माता श्रीमति सम्पत कंवर पत्नि नरेन्द्रपालसिंह राजपूत निवासी आसपुरा
8. राजस्थार सरकार जरिये जिला कलेक्टर नागौर
9. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी (तहसीलदार) कुचामनसिटी
10. उप पंजीयक पंजियन एवं मुद्रांक कुचामनसिटी जिला नागौर
11. पटवारी हल्का, पटवार हल्का जिलिया तहसील कुचामनसिटी
12. गणपतलाल पुत्र स्व.किस्तूरचन्द जाति साद निवासी आसपुरा हाल कुचामनसिटी

वाद पत्र अधिकारों की घोषणा,रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री पुष्पेन्द्रसिंह, लक्ष्मण गौड, हरदेवसिह, अनिल कुमावत मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है तथा अंकित टेबल अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम ग्राम	ख.नं.	रकबा	खातेदार घोषित मय रकबा
1	आसपुरा	261 262 263 264 268 269	2.45 3.51 0.01 2.29 0.01 2.73	वादी कमला 0.8915 हैक्टर, वांदी सीता 0.8915 हैक्टर, प्रतिवादी घनश्याम 0.8914 हैक्टर, प्रतिवादी गोपाल 0.8914 हैक्टर प्रति[illegible]हैयालाल 0.8914 हैक्टर प्र[illegible]दी [illegible]नन्द 0.8914 हैक्टर [illegible] 7/5 0.8914 हैक्टर
कुल रकबा			[illegible] हैक्टर	[illegible]दार गंगाराम 1.77 हैक्टर, मूनीदेवी 0.26 हैक्टर [illegible]हनी 2.73 हैक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

2	आसपुरा	133 134	0.01 4.52	वादी कमला 1/7 हिस्सा वादी सीता 1/7 हिस्सा प्रतिवादी घनश्याम 1/7 हिस्सा प्रतिवादी गोपाल 1/7 हिस्सा प्रतिवादी कन्हैयालाल 1/7 हिस्सा प्रतिवादी गजानन्द 1/7 हिस्सा प्रतिवादी 7/1 से 7/5 = 1/7 हिस्सा सुप्यारदेवी पत्नि श्रीकिशन का राजस्व रेकार्ड से नाम हटाया जाता है।
कुल रकबा			4.53 हैक्टर	
3	आसपुरा	222 259 265 266 558/261 559/262	0.40 2.10 0.37 0.59 0.47 0.18	वादी कमला 0.3015हैक्टर, वादी सीता 0.3015हैक्टर, प्रतिवादी गोपाल 0.3014 हैक्टर प्रतिवादी घनश्याम,कन्हैयालाल गजानन्द 0.5842 हैक्टर बहिस्सा बराबर प्रतिवादी गणपतलाल 0.32 हैक्टर प्रतिवादी 7/1 से 7/5 0.3014 हैक्टर अन्य खातेदार गंगाराम 1.41 हैक्टर, मूनीदेवी 0.59 हैक्टर,
कुल रकबा			4.11 हैक्टर	

डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहरीर जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत.................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 07 माह 07 .... सन् 2023 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:11 IST
Reason: SelfAttested